जारी 12.05.10

संख्या–464/49–1–08–500(454)/06

प्रेषक,

वहीद उल्लाह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉं,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊःदिनॉंक 12 मई,2010

विषयः– उ0प्र0 में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश में छोटे कृषको के हित के लिये सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 से प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को अधिकतम 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु " ब्याज अनुदान" की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–200/अधि0/1–7/2010–11 दिनॉंक 16 अप्रैल,2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश में छोटे कृषकों के हित के लिये सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 से प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को अधिकतम 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु " ब्याज अनुदान" के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 4270.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2135.00 लाख (रू0 इक्कीस करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

CS की प्रति तथा लोकन सं0– 9 प्राप्त किया 13/5/10

2– उपर्युक्त ब्याज अनुदान के उपयोग आदि के संबंध में समस्त शर्ते शासनादेश संख्या– 3309/49–1–06–500 (454)/06 दिनॉंक 07–12–06 के अनुसार ही रहेगी।

3– उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2425–सहकारिता–आयोजनागत–107–केडिट सहकारी समितियों को सहायता–10–प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

–2––

4— यह आदेश वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—951 / दस—2010—231 / 2010 दिनॉक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर—2(3) में निहित निर्देशों / व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

5— उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—951 / दस—2010—231 / 2010 दिनॉक 26 मार्च, 2010 में उल्लिखित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(वहीद उल्लाह)
संयुक्त सचिव।

संख्या—464(1) / 49—1—10 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2— महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
3— मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4— मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें,उ0प्र0,लखनऊ।
5—मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,11—विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।
6— वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—1
7— वित्त(व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—2
8— सहकारिता अनुभाग—3
9— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वहीद उल्लाह)
संयुक्त सचिव।

एफ0एस061